क्रम संख्या–30 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 16 मार्च, 2024 ई0
फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 114/XXXVI (3)/2024/13(1)/2024
देहरादून, 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024'** पर दिनांक 16 मार्च, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 05, वर्ष–2024** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2024)

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम की अनुसूची 1 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची–1 में –

(i) क्रम संख्या 4 में "हिमगिरी जी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "जिज्ञासा विद्‌यापीठ" शब्द रख दिये जायेंगे;

(ii) क्रम संख्या 18 में "हिमालयीय विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते है, "स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय" शब्द रख दिये जायेंगे।

(iii) क्रम संख्या–22 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां सहित अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

क्र0स0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम, का नाम	प्रायोजक निकाय
23.	आम्रपाली विश्वविद्यालय, शिक्षा नगर, ग्राम लामचौड़, कालाढ़ूंगी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल	आम्रपाली विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2024)	मार्डन एकेडमी एजूकेशन सोसाइटी, जी0टी0 रोड़, सिकरी कला, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201201

अधिनियम की अनुसूची 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की अनुसूची–2 में क्रम संख्या सहित निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात्:–

क्र0 स0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
1.	माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी, ग्राम बोहराकून रोड़, भीमताल, नैनीताल	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	माइन्ड पावर एजुकेशनल' बी–2/73, द्वितीय तल, सेक्टर–06, रोहिणी, दिल्ली–110085
2.	डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय, 122 एमआई सेलाकुई, देहरादून	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	'एसके एजुकेशनल ट्रस्ट' एफ–1, रेसकोर्स, देहरादून
3.	माया देवी विश्वविद्यालय, एन0एच–72, निकट होटल दी कॉम्पीटेन्ट पैलेस, सेन्ट्रल होप टाऊन, सेलाकुई, चकराता रोड़, देहरादून	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	माया देवी एजुकेशनल फाउण्डेशन, 4 बलबीर रोड़, देहरादून
4.	श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय, हिटाणू धनारी, डूण्डा, उत्तरकाशी	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, डॉ0 हरिशंकर नौटियाल भवन, ग्राम हिटाणु, पो0 पुजार गांव, धनारी, तहसील डूंडा, उत्तरकाशी

कठिनाईयों के निवारण करने की शक्तियां

4\. (1) यदि माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी, नैनीताल अथवा डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय, देहरादून अथवा माया देवी विश्वविद्यालय, देहरादून अथवा श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय, उत्तरकाशी की स्थापना के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

व्यावृत्ति

5\. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

नितिन शर्मा,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि नैनीताल में "माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी," देहरादून में "डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय", देहरादून में "माया देवी विश्वविद्यालय" उत्तरकाशी में "श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय" के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेगें। उक्त विश्वविद्यालयों का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यो को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

आम्रपाली विश्वविद्यालय को भी उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 के अधीन निगमित किया जाना है।

वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक संस्थान को पुनः स्थापित करने, अखिल भारतीय स्तर पर विश्वविद्यालय के संचालन का विस्तार करने एवं वैश्विक भागीदारी बढाने के दृष्टिगत हिमगिरी जी विश्वविद्यालय एवं हिमालयीय विश्वविद्यालय के नाम की अन्य शिक्षण संस्थाओं व विश्वविद्यालयों से नाम की समानता होने के कारण विश्वविद्यालय संचालन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के निवारण किये जाने के दृष्टिगत उक्त विश्वविद्यालयों के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता हैं।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री

No. 114/XXXVI(3)/2024/13(1)/2024
Dated Dehradun, March 16, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'Uttarakhand Private University (Amendment) Act, 2024' (Act No. 05 of 2024).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16th March, 2024.

THE UTTARAKHAND PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2024

(Uttarakhand Act No. 05 Year, 2024)

An

Act

further to amend in the Uttarakhand Private Universities Act, 2023,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Schedule 1 in the Act

2 In the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 (hereinafter referred to as the principal Act), in Schedule-1 -

(i) at serial number 4, for the words "Himgiri Zee University", the words "Jigyasa University" be substituted;

(ii) at serial number 18, for the words " Himalayiya University" wherever they occur, the words "Sparsh Himalaya University" shall be substituted.

(iii) after serial number-22, the following serial number with entries shall be inserted, namely:-

S.No	Name and Main Campus of the University	Name of Acts	Sponsoring Body
23.	The Amrapali University, shiksa Nager, village lamachaur, Kladhungi, Road, Haldwani Nainital	The Amrapali University Act, 2021(Act No. 01 of 2024)	Modern Academy Education Society, G.T. Road, Sikri Kala, Modi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201201

Amendment of Schedule 2 in the Act

3. In Schedule-2 of the principal Act, the following serial numbers with entries shall be inserted, namely:-

S.No	Name and Main Campus of the University	Name of Acts	Sponsoring Body
1.	Mind Power University, Village Bohrakoon Road, Bhimtal, Nainital	the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2024	Mind Power Educational Society, B-2/73, 2nd Floor, Sector-06, Rohini, Delhi-110085
2.	DBS Global University, 122 MI , Selaqui, Dehradun	the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2024	Eskay Educational Trust F-I, Race Course, Dehradun
3.	Maya Devi University, NH-72, Near Hotel The Competent Palace, Central Hope Town, Selaqui, Chakrata Road, Dehradun	the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2024	Maya Devi Educational Foundation, 4 Balbir Road, Dehradun
4.	Smt. Manjira Devi University, Hitanu Dhanari, Dunda, Uttarkashi	the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2024	Smt. Manjira Devi shikshan Evam Parshikshan Samiti, Dr. Harishankar Nautiyal Bhawan, Village Hitanu, P.O. Pujar Village, Dhanari, Tehsil Dunda, Uttarkashi.

Power to remove difficulties

4. (1) If any difficulty arises regarding the establishment of Mind Power University, Nainital or DBS Global University, Dehradun or Maya Devi University, Dehradun, or Smt. Manjira Devi University, Uttarkashi, then the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after expiry of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Assembly as soon as after it is made.

Saving

5. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

NITIN SHARMA,
Principal Secretary.

Statement of Objective and reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it has been decided by the state Government that private Universities with the name "Mind Power University" Nainital, "DBS Global University", Dehradun, "Maya Devi University", Dehradun and "Smt. Manjira Devi University" Uttarkashi, shall be established. The aim of the said Universities is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote state related research programmes and to provide employment resources.

Amrapali University is also to be incorporated under the Uttarakhand Private Universities Act, 2023.

In view of, re-establishing the educational institution at the global level, expanding the operation of the university at the all India level and increasing global participation for the Himgiri Zee University and to overcome the difficulties arising in running the Himalayiya University due to the similarity of the name of the University with other educational institutions and universities; it is expedient to amend the name of the above said Universities.

2- The proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 विधायी / 166–2024–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।